



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 10 राँची, बुधवार 16 चैत्र, 1944 (श०)
6 अप्रैल, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 69- 72

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1—ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

21 मार्च, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-31/2017 का.-1784--श्रीमती युनिका शर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी को वित्त विभाग के संकल्पों एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के तहत मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक 14.11.2020 से 12.05.2021 तक :- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 एवं संकल्प संख्या-907 दिनांक 01-07-2010 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में
(कुल 180 दिन)
- (ii) दिनांक 13.05.2021 से 13.06.2021 तक :- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में ।
(कुल 32 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRANSHU PRATYUSHA अन्य नाम PRANSHU पिता SRI ANIL KUMAR, शपथ पत्र सं० 1963, दिनांक 1 अप्रैल, 2022 के अनुसार PRANSHU PRATYUSHA के नाम से जानी जाऊँगी।

PRANSHU PRATYUSHA एवं PRANSHU दोनों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- QR. NO. - 5005,
SECTOR 4-D,
BOKARO STEEL CITY, BOKARO,
P.O.- SECTOR-4,
DIST.- BOKARO,
PIN - 827004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MR. RAVI SHANKAR, VIDIT SINGH (अन्य नाम VIDIT) का पिता शपथ पत्र सं० 1773, दिनांक 15 मार्च, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र VIDIT SINGH (जन्म तिथि - 20 नवम्बर, 2008) के नाम से जाना जायेगा।

VIDIT SINGH एवं VIDIT दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- RESIDENCE OF AT- H. NO. 'B-19',
KRISHI VIHAR ARSANDE,
P.O. - BOREYA,
P.S. - KANKE,
DIST- RANCHI,
PIN - 834006
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ABHAY KUMAR SINGH, ANMOL SINGH (अन्य नाम UJAWAL RAJ) का पिता शपथ पत्र सं० 858, दिनांक 12 फरवरी, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ANMOL SINGH (जन्म तिथि - 20 मार्च, 2008) के नाम से जाना जायेगा ।

ANMOL SINGH एवं UJAWAL RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- R/O Q. NO.- BCD/4,
HARMU HOUSING COLONY,
P.O. - DORANDA,
P.S. - ARGORA,
DIST- RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND
